न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2025 (राजसमन्द आर्डर)

1. दिनेशसिंह पिता गणेशसिंह राजपूत, नाबालिक बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी गणेशसिंह राजपूत निवासी सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रहलादसिंह पिता गणेशसिंह राजपूत, नाबालिक बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी गणेशसिंह राजपूत निवासी सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलार्थी

बनाम

1. विजयसिंह पिता खेमसिंह चदाणा (राजपूत) नाबालिक निवासी सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नन्दसिंह पिता सदासिंह खरवड़ (राजपूत) निवासी हमेरपाल, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक 13.10.2025 प्रकरण संख्या 29/2025 प्रार्थना पत्र

———::———

उपस्थित :– 1– श्री औंकार डांगी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री शुभम टांक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 22–04–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चांबुआ, सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़ में स्थित विवादित आराजी नम्बर 68, 69, 70, 67, 81 प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 की मौरूसी जायदाद है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थीगण के दादा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजीयात मौरूस

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

खेमसिंह की विरासत से विपक्षी संख्या 1 विजयसिंह के नाम पर दर्ज हुई है, विजयसिंह परिवार का कर्ता खानदान है। खेमसिंह के पूर्व खेमसिंह को उनके पिता से विरासत में मिली है तथा विपक्षी संख्या 1 का पुत्र गणेशसिंह है, जो प्रार्थीगण का पिता है, विजयसिंह व गणेशसिंह ने प्रार्थीगण को अपने परिवार से निष्कासित कर दिया है तथा वे अलग रह रहे है, जिसकी संरक्षक माता लक्ष्मी है व लक्ष्मी ही प्रार्थीगण का पालन पोषण कर रही है। विवादित भूमि मौरूसी होने से प्रार्थीगण का भी जन्म से हक व अधिकार है तथा प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व गणेशसिंह के साथ विवादित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना कथित आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. उक्त प्रार्थना पत्र का विपक्षी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 व सवा पिता खेमा से वर्णित आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं क्रय दिनांक से आज तक काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमियों विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से क्रय करने के पश्चात प्रार्थीगण के पिता गणेश व बुआ देवलीबाई ने भी उक्त आशय का मुकदमा आप न्यायालय मुकदमा नम्बर 81/2020 गणेशसिंह बनाम वजिंग वगैरह प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता व बुआ ने प्रार्थीगण से अवैध रूप से 3,05,000/–रुपये अवैध रूप से प्राप्त कर विपक्षी संख्या 2 को प्रताड़ित किया है, जबकि प्रार्थीगण के पिता गणेशसिंह ने भी विक्रय इकरार पर साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर किए है। प्रार्थीगण ने अपने दादा, पिता व बुआ से अवैध दुरभि संधि कर उक्त वाद पेश किया, जो विधि में विचारण योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.10.2025 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 30.10.2025 को प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये गये, जिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शुभम टांक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विजयसिंह को अपने पिता से प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पैतृक होने से अपीलान्टगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित भूमि को स्वयं के मौज व शौक के लिए अपीलान्टगण को नाजायज नुकसान पहुंचाने की नियत से अपीलान्ट के हितों को ध्यान में रखे बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि विक्रय कर दी है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपीलान्टगण को विवादित भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.10.2025 अपास्त किया जाकर अपीलान्टगण के पक्ष में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

7. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट अंकित किया है कि "विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 व सवा पिता खेमा से वादग्रसत आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। उक्त भूमिया विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 से क्रय करने के उपरान्त प्रार्थीगण के पिता गणेशसिंह व भुआ देवलीबाई ने भी वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अपने पिता विपक्षी संख्या 1 वजीग के विरूद्ध इस प्रकरण से पूर्व पेश किया गया, जिसके प्रकरण पत्रावली संख्या 81/2020 वाद अनवान् गणेशसिंह वगैराह बनाम वजिंग उर्फ

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वजेसिंह निर्णय दिनांक 11.02.2021 है जिसका प्रार्थीगण के पिता गणेशसिंह व भुआ देवलीबाई ने राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को खारिज करवाया गया अर्थात प्रार्थीगण के दादा विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द करना व उसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री द्वारा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर राजीनामा के आधार पर पुनः खारिज करवाया गया व अब प्रार्थीगण की ओर से पुनः वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व अंकन का विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध पेश किया अर्थात दादा विपक्षी संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त भूमि की पूर्ण कीमत प्राप्त कर विपक्षी संख्या 2 को भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय करने से भूमिया विपक्षी संख्या 2 के नाम पर दर्ज है व उसके पश्चात पिता गणेशसिंह व भुआ देवलीबाई द्वारा वाद पेश कर विक्रयशुदा भूमि की कीमत पुनः विपक्षी संख्या 2 से प्राप्त कर वाद को राजीनामें के आधार पर खारिज करवाया है व अब पुनः पौत्र की ओर से वाद पेश कर प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना न्यायोचित नहीं है।''

उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथी/अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रकरण पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रिकॉर्डेड खातेदार तथा उसके द्वारा विपक्षी संख्या 1 जो प्रार्थीगण के दादा है, से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। तदनुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ निर्णय दिनांक 13.10.2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

22.4.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर